कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–2800/11–सी– FP/UP/Road/40150/2019, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 01 ,2022

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–334ए), लक्सर–पुरकाजी किमी0 0.00 से किमी0 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एव उस अवस्थिति विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–**(FP/UP/Road/40150/2019)**

संदर्भ– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/24/2021/एफ0सी0/1269, दिनांक–24.02.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक–2459/14–1, दि0 28.03.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।</u>

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2800/11–सी– **FP/UP/Road/40150/2019**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4– अधिशासी, अभियन्ता, एन0एच0 डिवीजन, पी0डब्लू0डी0, गाजियाबाद।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ac